कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– दिनांक :–

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स सी0सी0एल0 की आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि–103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी–17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/36506/2018) के संबंध में।**

प्रसंग :– 1. वन विभागीय पत्रांक वनभूमि– 07 / 2023–1197 दिनांक 31.03.2023
2. वन विभागीय पत्रांक वनभूमि (विविध)–02 / 2022–3065 दिनांक 08.08.2023
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 2110 दिनांक 27.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र–1 के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2110 दिनांक 27.08.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयगत परियोजना से संबंधित FRA के तहत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ) स्टेज–I के अनुपालन के समय समर्पित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है।

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या 3065 दिनांक 08.08.2023 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सभी प्रस्तावों में स्टेज–I की स्वीकृति के उपरांत परन्तु स्टेज–II का प्रस्ताव भेजने के पूर्व FRA प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिशा निदेश निर्गत है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा FRA समर्पित करने हेतु वचनबद्धता इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 912 **दिनांक** 05/9/2023

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/9/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

5-9

E:\ANUJ\Nitish\Amrapali Railway Siding (120.61 Ha)\Letter.Docx